प्रेस विज्ञप्ति

11.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (टीबीवीएफएल) और अन्य से संबंधित मामले की चल रही जाँच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 09.07.2025 को मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में पंद्रह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, लगभग **200 करोड़ रुपये** मूल्य के संपत्ति के कागजात और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए।

ईडी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा टीबीवीएफएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध ऋण राशि को संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करके और खातों में हेराफेरी करके एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत टीबीवीएफएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। टीबीवीएफएल ने 206.35 करोड़ रुपये के सावधि ऋण और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का भुगतान न करके एक्सिस बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। इसके अलावा, लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी धोखाधड़ी हुई है क्योंकि टीबीवीएफएल 180 करोड़ रुपये के एनसीडी का भुगतान करने में विफल रहा।

ईडी की जाँच से पता चला है कि टीबीवीएफएल और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा एनसीडी से प्राप्त सावधि ऋण और निवेश को गैर-स्वीकृत उद्देश्यों के लिए डायवर्ट और उपयोग किया गया। उन्होंने विक्रेता भुगतान की आड़ में ऋण राशि को फर्जी संस्थाओं के खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में समूह के प्रवर्तकों की संबंधित संस्थाओं को भेज दिया गया। इसके अलावा, बैंक निधियों को डायवर्ट करने के लिए रॉयल्टी राशि और शेयर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम में भी वृद्धि की गई।

तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और **8 लाख रुपये** की बेहिसाबी नकदी ज़ब्त की गई। समूह द्वारा बैंक निधियों से किए गए विदेशी निवेश और प्रमोटरों की मुंबई, नागपुर और गोवा स्थित फ्लैट, वाणिज्यिक स्थान, विला, बंगले जैसी अचल संपत्तियों का विवरण भी मिला।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।